

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 569/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुमी देवी

- विक्रेता

मंगतराय स्वांसी

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

20.05.19

आदेश

आवेदक सुमी देवी पिता स्व0 बुधू स्वांसी ग्राम-कदमा, पोस्ट-खूँटी, थाना खूँटी जिला खूँटी ने मंगतराय स्वांसी पिता स्व0 डोगे स्वांसी ग्राम-कुड़ापुर्ती, पोस्ट-सोयको, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कदमा	84	01	837	0.05


उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0160727787 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 375 दिनांक 14.05.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं0- 644/643 दिनांक 06.10.06 द्वारा क्रय किया है। खतियानी रैयत का नाम जीरात मालिक नाम लगान पाने वाले ठाकुर महेन्द्र नाथ सहदेव हैं। पंजी II के अनुसार सुमर देवी के नाम भूमि का रकवा 1.20 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 1.20 एकड़ भूमि के अलावा अन्य मौजा तिरला का रकबा 3.52 एकड़ भूमि कुल रकबा 4.72 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 60165.00(साठ हजार एक सौ पैसठ)रु0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.67 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सुमी देवी पिता स्व0 बुधू स्वांसी को मंगतराय स्वांसी पिता स्व0 डोगे स्वांसी के साथ ग्राम कदमा के खाता सं0 01 खेसरा संख्या 837 कुल रकबा 0.05 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 60165.00(साठ हजार एक सौ पैसठ)रु0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


20/05/19
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।


20/05/19
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।